

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

शासकीय अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 59/2023


पत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

गुरछविन्द्र कौर पत्नी हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीया

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह पुत्र हरदीश सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. रामअंश सिंह पुत्र गुरछविन्द्र सिंह जरिये कुदरती वली माता मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
4. सुखमनी कौर पुत्री गुरछविन्द्र सिंह जरिये कुदरती वली माता मनिन्द्र कौर पत्नी गुरछविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
5. छिन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह
6. गुरजन्त सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
7. गुरमेल कौर पुत्री रूड सिंह
8. प्रकाश कौर पुत्री रूड सिंह
9. तजिन्द्र सिंह पुत्र बलतेज सिंह
10. प्रजिन्द्र सिंह पुत्र बलतेज सिंह
11. दर्शन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
12. बलतेज कौर पति सर्वजीत सिंह
13. महेन्द्र कौर पुत्र पत्नी बेअन्त सिंह
14. मिठू सिंह पुत्र रूड सिंह
15. मोहन सिंह पुत्र रूड सिंह
16. विमला पुत्री रूड सिंह
17. सुखप्रीत कौर पुत्री जसवीर सिंह
18. सिकन्दर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
19. सोहन सिंह पुत्र रूड सिंह
20. हरदम सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
21. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



जाति जटसिख साकिन ढाबा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 30.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी



नाम काशतकार मय वर्द्धित एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	राजस्व रिकार्ड अनुसार रकबा	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
हरदविन्द्र कौर पत्नि हरदीश सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबा	प.मं. दीनगढ के चक 2 डीएनजी के खाता सं. 91/64 खाते का योग 0.834 हेक्. (विवादित श्रेणी का खाता)	0.011 हेक्.	हरदविन्द्र कौर पत्नि हरदीश सिंह जाति जट सिख निवासी ढाबा	प.नं. 194/128 मु.नं. 23 कि.नं. 16/2/0.209, 16/3/0.025 गै.मु. रास्ता 17/2/0.234, 24/2/0.164, 25/2/0.177, 25/3/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.834 हेक्.




उक्त उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करके अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंभा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4802 दिनांक 24.12.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट:- प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीया के पक्ष में कर दिया है।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.6.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
मुख्य कलेक्टर एवं
उपस्थित अधिकारी,
संगरिया